for according Minority status to the Hindus residing in the states of Jammu and Kashmir, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Punjab as Hindus in these States are numerically a minority as per 1991 Census reprot.

(c) The questions as to who constitutes a minority is the subject matter of a Writ petition in the supreme Court. The final decision in the matter of providing minority status will depend on the decision of the Supreme Court.

**जड़ी-बूटियों से निर्मित उत्पादों का निर्यात**

*175. **श्री कपिल सिब्बल:**
**श्री राज मोहिन्दर सिंह:**

**क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जड़ी-बूटियों से निर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए हाल ही में स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उत्पादों का ब्यौरा क्या है और उनमें कौन-कौन सी जड़ी-बूटियों का प्रयोग होता है;

(ग) क्या सरकार ने इन उत्पादों के निर्यात की अधिकतम सीमा तय की है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और देश में इन जड़ी-बूटियों से निर्मित उत्पादों के वार्षिक उत्पादन तथा खपत का ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े):** (क)से (घ) एक्जिम नीति 1997—2002 के तहत जड़ी-बूटी उत्पादों का मुक्त रूप से निर्यात करने की अनुमति है। केवल कतिपय नस्लों के पौधों, पौधों के हिस्सों और उनके अपशिष्टों और वनों से प्राप्त निस्सारणों का निर्यात प्रतिबंधित है। तथापि, रैड सैंडर्स के अपशिष्टों एवं निस्सारणों को छोड़कर, इन प्रजातियों की उत्पादित किस्मों का निर्यात उनके अपशिष्टों एवं निस्सारणों समेत (मूल्यवर्धित जड़ी-बूटी नुस्खों समेत) निर्दिष्ट प्राधिकारी से उत्पादन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर मुक्त रूप से किए जाने की अनुमति है। पौधों की ऐसी प्रजातियों की सूची "निर्यात एवं आयात मद 1997—2000 का आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण" नामक पुस्तिका के परिशिष्ट 2 अनुसूची 2 में उपलब्ध है।

ऐसी मदों के निर्यात के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण पुस्तक में सूचीबद्ध अधिकांश प्रजातियां वन में प्राकृतिक रूप में व्यापक पैमाने पर उगती हुई पाई जाती हैं और वनों के बाहर इनकी खेती लगभग नगण्य है। यही करण है कि ऐसी जड़ी बूटियों के वार्षिक उत्पादन और खपत का आकलन नहीं किया जाता है और इसके आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

**Import Under OGL**

*176. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have allowed the import of 200 items from SAARC nations under OGL;

(b) whether this agreement will allow the import of Sri Lankan tea to India at concessional rates; and

(c) what will be the impact of this decsion on the Indian Industry?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE):(a) to (c) The Government has allowed import of 2307 items under OGL from SAARC nations vide Public Notice No. 25 (PN)/97-02 dated 01.08.1998.

The said public Notice only allows free import of items restricted for reasons of Balance of Payments without any concession in duty.

**Land for housing in Metropolitan Cities**

*177. SHRI AMAR SINGH: Will the MINISTER OF URBNAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pelased to state:

(a) the approximate hectare of land in Mumbai, Delhi and other Metropolitan cities that would be available for housing and urban infrastructure development following the repeal of the Urban land (Ceiling and regulation) Act;

(b) whether Government had issued any guidelines to the State Governments to ensure the availability of dwelling units for the low and middle income persons; and